मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

पप्पू @अजय

(आपराधिक अपील संख्या 1213/2008)

4 अगस्त, 2008

[डॉ. अरिजीत पासायत और डॉ. मुकुंदकम शर्मा , जे. जे.]

दंड संहिता, 1860; धारा 376 (1) आर/डब्ल्यू एस 511 सपठित धारा 324 और 452:

सजा- निचली अदालत द्वारा अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 376(1) सपठित धारा 511 व धारा 324 तथा 452 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध किया गया व उसे 4 साल के कारावास की सजा भुगताने हेतु आदेशित किया गया- उच्च न्यायालय द्वारा सजा को भुगती हुई अवधि तक घटाया गया अर्थात 5 महिने व 25 दिन- उक्त आदेश की वैधता- आदेशित किया गयाः गलत- उच्च न्यायालय द्वारा सजा को घटाने के आदेश के समय कोई कारण नहीं बताया गया- अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से अपराध किया गया था उसको ध्यान में रखते हुए सजा पारित करना न्यायालय का कर्त्तव्य है- उचित और न्यायसंगत सजा तय करने के लिए उत्तेजक और शमन करने वाले कारको, अपराध किन परिस्थितियों में कारित किया गया उन आधारों पर न्यायालय द्वारा निष्पक्ष तरीके से वास्तव में प्रासंगिक परिस्थितियों को सूक्ष्म रूप् से संतुलित किया जाना चाहिए- अपराध के समाज पर प्रभाव को मध्यनजर रखना आवश्यक है तथा अनुकरणीय उपचार आवश्यक है- सजा के बिंदु पर विधिक

स्थिति के प्रकाश में उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से कायम रखने योग्य नहीं है और खारिज किया गया- निचली अदालत के फैसले को बहाल किया गया। सजा के बिंदू पर- उद्देश्य और अवधि की- चर्चा की गई।

अभियुक्त-प्रतिवादी को निचली अदालत ने धारा 376(1) सपठित धारा 511 व धारा 324 व 452 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया था तथा चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। अभियुक्त द्वारा निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध अपील करने पर उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि चूंकि प्रतिवादी के द्वारा पांच महिने और पच्चीस दिन का कारावास भुगत लिया गया है इसलिए प्रथम अपराध के संबंध में भुगती हुई सजा की अवधि तक सजा कम कर दी जानी चाहिए। इसलिए यह अपील की गई।

अपीलार्थी राज्य ने तर्क दिया कि प्रश्नगत अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय को सजा की अवधि को भुगती हुई अवधि तक कम नहीं करना चाहिए था, जो छह माह की अवधि से कम थी।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

1.1- उच्च न्यायालय द्वारा सजा कम करने के आदेश के संबंध में कोई कारण नहीं बताया है। (पैरा-8)(797-एफ)

1.2- कानून सामाजिक हितों को नियंत्रित करता है, परस्पर विरोधी दावों और मांगों पर मध्यस्थता करता है। व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा राज्य का एक आवश्यक कर्तव्य है । इसे आपराधिक कानून के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। निस्संदेह जहां एक, अंतर सांस्कृतिक संघर्ष है, वहां जीवित कानून को नई चुनौतियों का उत्तर ढूंढना होगा और अदालतों को चुनौतियों का सामना करने के लिए सजा प्रणाली को ढालना होगा।अराजकता का संक्रमण सामाजिक व्यवस्था को कमजोर कर

देगा और उसे खंडहर बना देगा। समाज की सुरक्षा और आपराधिक प्रवृति पर रोक लगाना कानून का उद्देश्य होना चाहिए जिसे उचित सजा देकर हासिल किया जाना चाहिए। इसलिए, कानून को "व्यवस्था" की इमारत की आधारशीला के रूप में समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए।

(पैरा-9)(797-जी-एच,798-ए)

"लॉ इन चैंजिंग सोसायटी"- फ्रिडमेन- संदर्भित

1.3. इसलिए, अपर्याप्त सजा देने की अनुचित सहानुभूति, न्याय प्रणाली को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी, जिससे कानून की प्रभावशीलता में जनता का विश्वास कम हो जाएगा और समाज ऐसे गंभीर खतरों के तहत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए, यह हर अदालत का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे निष्पादित या प्रतिबद्ध किया गया था, आदि, को ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे। (पैरा-10)(798-डी-ई)

सेवका पेरुमल आदि बनाम तमिलनाडु राज्य (एआईआर 1991 एससी 1463)- संदर्भ लिया गया।

1.4- सार संक्षेप में न्यायाधीश इस बात की पुष्टि करते हैं कि सज़ा हमेशा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए; फिर भी व्यवहार में सजाएं बड़े पैमाने पर अन्य विचारों पर निर्धारित होती हैं। कभी-कभी यह अपराधी की सुधारात्मक आवश्यकताएं होती हैं जो एक सजा को उचित ठहराने के लिए पेश की जाती है। कभी उसे प्रचलन से बाहर रखने की वांछनीयता, तो कभी उसके अपराध के दुखद परिणाम भी। उक्त आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से सजाओं के आधार से प्रस्थान का कारण बनती है तथा अन्याय के ऐसे स्पष्ट मामले बनाती है जो गंभीर और व्यापक होते है। (पैरा-11)(798-जी-एच,799-ए)

1.5- प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद, किसी अपराध के लिए दी जाने वाली उचित और न्यायसंगत सजा का निर्णय लेने के लिए, जिन उत्तेजक और शमन करने वाले कारकों और परिस्थितियों में अपराध किया गया है, उन आधारो पर न्यायालय द्वारा निष्पक्ष तरीके से वास्तव में प्रासंगिक परिस्थितियों को सूक्ष्म ढंग से संतुलित किया जाना चाहिए। (पैरा-12)(799-बी-सी)

डेनिस काउंसिंल एमसीजीडौथा बनाम कैलिफोर्निया राज्य: 402 यूएस 183: 28 एलडी 2डी 711- संदर्भित

1.6- कई मामलों में सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव पर विचार किए बिना सजा देना वास्तव में एक निरर्थक अभ्यास हो सकता है। अपराध का सामाजिक व्यवस्था और सार्वजनिक हित पर बहुत प्रभाव पड़ता है जिससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है तथा अनुकरणीय उपचार की आवश्यकता है। ऐसे अपराधों के संबंध में कम सजा देने या केवल समय व्यतीत होने के आधार पर बहुत अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने वाला कोई भी उदार रवैया लंबे समय में परिणाम-आधारित प्रतिकूल होगा और सामाजिक हित के खिलाफ होगा, जिसकी देखभाल करने और सजा प्रणाली में अंतर्निहित प्रतिरोध मजबूत करने की आवश्यकता है। (पैरा-13)(799-एफ-एच)

1.7- किसी अपराध के लिए दी जाने वाली सजा अप्रासंगिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस अत्याचार और क्रूरता के अनुरूप हेानी चाहिए जिसके साथ अपराध किया गया है, अपराध की विशालता सार्वजिनक घृणा की गारंटी देती है और इसे "अपराधी के खिलाफ न्याय के लिए समाज की पुकार का जवाब देना चाहिए"। (पैरा-14)(800-ए-बी)

एम. पी. राज्य बनाम घनश्याम सिंह (2003) 8 एससीसी 13 एम. पी. राज्य बनाम बब्बू बरकारे उर्फ दलप सिंह (2005) 5 एस. सी. सी. 413- संदर्भित

2. कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से अस्थिर है और खारिज किया जाता है। (पैरा-16) [800-डी]

न्यायिक दृष्टांत का संदर्भ

ए.आई.आर.(1991) एस.सी. 1463- पैरा 10

402 यू.एस.183: 28 एल. डी. 2 डी 711- पैरा-12

(2003) 8 एस. सी. सी 13- पैरा-15

(2005) 5 एस. सी. सी. 413- पैरा-15

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील नं. 1213/2008

आपराधिक अपील नं. 1482/2002 में जबलपुर में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश व अंतिम निर्णय दिनांक 27-01-2004 से उत्पन्न।

गोविंद गोयल, सी. डी. सिंह और सनी चौधरी- अपीलार्थी की ओर से।

निर्मल चोपड़ा-प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पासायत द्वारा दिया गया।

1. याचिका अनुमत।

2. चूंकि इस अपील में एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा को कम करना उचित था, इसलिए तथ्यात्मक पहलुओं का विस्तृत संदर्भ अनावश्यक है।

3. प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 376(1) सपठित धारा 511 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 और 452 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विचारण का सामना करना पड़ा। पहले अपराध के लिए,

उन्हें अदम अदायगी की शर्तों के साथ 2,000/- रुपये के जुमार्ने के साथ चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। दूसरे अपराध के लिए, उन्हें अदम अदायगी शर्तों के साथ 500/- रुपये के जुमार्ने के साथ एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसी तरह, आखिरी अपराध के लिए, उन्हें एक वर्ष के कठोर कारावास और अदम अदायगी शर्तों के साथ 500/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी।

4. प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई और उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा यह माना कि चूंकि प्रतिवादी ने लगभग पांच महीने और 25 दिनों के लिए कारावास की सजा काट ली है, इसलिए पहले अपराध के संबंध में सजा को पहले से ही भुगती गई अवधि तक कम किया जाना चाहिए।

5. मध्य प्रदेश राज्य ने इस आधार पर फैसले की वैधता पर सवाल उठाया है कि इस मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उच्च न्यायालय को सजा की अवधि को कम नहीं करना चाहिए था, जो ऊपर बताए अनुसार छह महिने से कम थी।

6. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

7. वतर्मान मामले में पीडिता की जांच पीडब्लू- 3 के रूप में की गई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तीन व्यक्तियों को विचारण का सामना करना पड़ा और सह-अभियुक्तों को आरोपों से बरी कर दिया गया। जैसा कि अपीलकर्ता- राज्य के विद्वान वकील ने सही जाहिर किया है कि, सजा कम करने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है।

9. कानून सामाजिक हितों को नियंत्रित करता है, परस्पर विरोधी दावों और मांगों पर मध्यस्थता करता है। व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा राज्य का एक आवश्यक कर्त्तव्य है। इसे आपराधिक कानून के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। निस्संदेह जहां, एक अंतर सांस्कृतिक संघर्ष है वहां जीवित कानून को नई चुनौतियों का

उत्तर ढूंढना होगा और अदालतों को चुनौतियों का सामना करने के लिए सजा प्रणाली को ढालना होगा। अराजकता का संक्रमण सामाजिक व्यवस्था को कमजोर कर देगा और उसे खंडहर बना देगा। समाज की सुरक्षा और आपराधिक प्रवृति पर रोक लगाना कानून का उद्देश्य होना चाहिए जिसे उचित सजा देकर हासिल किया जाना चाहिए। इसलिए, कानून को "व्यवस्था" की इमारत की आधारशीला के रूप में समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। फ्रिडमेन द्वारा लॉ इन चैजिंग सोसायटी में उल्लेख किया गया है कि आपराधिक कानून की स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी इसे समाज की सामाजिक चेतना का एक निर्णायक प्रतिबिंब होना चाहिए। इसलिए, सजा प्रणाली के संचालन में, कानून को तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर सुधारात्मक मशीनरी या निवारण को अपनाना चाहिए। जहां सजा की प्रक्रिया के कठोर होने की आवश्यकता हो वहां कठोर होनी चाहिए और जहां दया की आवश्यकता हो वहां दया होनी चाहिए। प्रत्येक मामले में तथ्य और दी गई परिस्थितियां, अपराध की प्रकृति, जिस तरीके से इसकी योजना बनाई गई और प्रतिबद्ध किया गया, अपराध करने का मकसद, आचरण अभियुक्त की स्थिति, इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति और अन्य सभी परिस्थितयां प्रासंगिक तथ्य हैं जो विचारण के क्षेत्र में प्रवेश करेंगी।

10. इसलिए, पर्याप्त सजा देने की अनुचित सहानुभूति न्याय प्रणाली को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी, जिससे कानून की प्रभावशीलता में जनता का विश्वास कम हो जाएगा और समाज ऐसे गंभीर खतरों के तहत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए, यह हर अदालत का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे निष्पादित या प्रतिबद्ध किया गया था आदि को ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे। इस स्थिति पर इस न्यायालय द्वारा *सेवका पेरुमल आदि बनाम तमिलनाडू राज्य* (एआईआर 1991 एससी 1463) में प्रकाश डाला गया था।

11. आपराधिक कानून आम तौर पर प्रत्येक प्रकार के आपराधिक आचरण की सदोषता के अनुसार दायित्व निर्धारित करने में आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करता है। यह आम तौर पर न्यायाधीश को प्रत्येक मामले में सजा पर पहुंचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवेक की अनुमित देता है, संभवतः ऐसे सजा की अनुमित देता है जो प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों द्वारा उठाए गए सदोषता के अधिक सूक्ष्म विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं। न्यायाधीश सार में इस बात की पुष्टि करते हैं कि सज़ा हमेशा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए; फिर भी व्यवहार में सजा बड़े पैमाने पर अन्य विचारों से निर्धारित होते हैं। कभी-कभी यह अपराधी की सुधारात्मक आवश्यकताएं होती हैं जो एक सजा को उचित ठहराने के लिए पेश की जाती है, कभी उसे प्रचलन से बाहर रखने की वांछनीयता, तो कभी उसके अपराध के दुखद परिणाम भी।

12. प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद, किसी अपराध के लिए दी जाने वाली उचित और न्यायसंगत सजा का निर्णय लेने के लिए, जिन उत्तेजक और शमन करने वाले कारकों और परिस्थितियों में अपराध किया गया है, उन आधारों पर न्यायालय द्वारा निष्पक्ष तरीके से वास्तव में प्रासंगिक परिस्थितियों को सूक्ष्म ढंग से संतुलित किया जाना चाहिए। संतुलन बनाने का ऐसा कार्य वास्तव में एक कठिन कार्य है। इसे *डेनिस काउंसिंक एमसीजीडौथा बनाम कैलिफोर्निया राज्य*: 402 यूएस 183: 28 एलडी 2 डी 711 में बहुत उपयुक्त रूप से इंगित किया गया है कि फुलप्रूफ प्रकृति का कोई भी फॉर्मूला संभव नहीं है जो अपराध की गंभीरता को प्रभावित करने वाली अनंत प्रकार की परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत सजा निर्धारित करने में उचित मापदंड प्रदान कर सके। किसी फुलप्रूफ फॉर्मूला के अभाव में जो अपराध की गंभीरता पर विचार करने के लिए आवश्यक विभिन्न परिस्थितयों का सही आकलन करने के लिए उचित मापदंड के लिए कोई

आधार प्रदान कर सकता है, प्रत्येक मामले के तथ्यों में विववेकाधीन निर्णय ही एकमात्र तरीका है जिससे ऐसे निर्णयों को समान रूप से अलग किया जा सकता है।

13. कई मामलों में सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव पर विचार किए बिना सजा देना वास्तव में एक निरर्थक अभ्यास हो सकता है। अपराध का सामाजिक प्रभाव, उदाहरण के लिए जहां यह महिलाओं के खिलाफ अपराध, डकैती, अपहरण, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, राजद्रोह और नैतिक अधमता या नैतिक अपराध से जुड़े अन्य अपराध से संबंधित है, जिनका सामाजिक व्यवस्था और सार्वजनिक हित पर बहुत प्रभाव पड़ता है, को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। दृष्टि और प्रति अनुकरणीय उपचार की आवश्यकता है। ऐसे अपराधों के संबंध में कम सजा देने या केवल समय व्यतीत होने के आधार पर बहुत अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने वाला कोई भी उदार रवैया लंबे समय में परिणाम-आधारित प्रतिकूल होगा और सामाजिक हित के खिलाफ होगा, जिसकी देखभाल करने और उसे सजा प्रणाली में अंतर्निहित प्रतिरोध से मजबूत करने की आवश्यकता है।

14. यदि उस अपराध के लिए उचित दंड नहीं दिया गया जो न केवल व्यक्तिगत पीड़ित के खिलाफ बल्कि उस समाज के खिलाफ भी किया गया है जिसमें अपराधी और पीड़ित हैं, तो न्यायालय अपने कर्तव्य में असफल हो जाएगा। किसी अपराध के लिए दी जाने वाली सजा अप्रासंगिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस अत्याचार और क्रूरता के अनुरूप हेानी चाहिए जिसके साथ अपराध किया गया है, अपराध की विशालता सार्वजिनक घृणा की गारंटी देती है और इसे "समाज की अपराधी के खिलाफ न्याय के लिए पुकार का जवाब देना चाहिए"। यदि बिना किसी उकसाने के बेहद क्रूर तरीके से की गई हत्या जैसे अत्यंत जघन्य अपराध के लिए सबसे अधिक निवारक सजा नहीं दी जाती है, तो निवारक सजा का मामला अपनी प्रासंगिकता खो देगा।

15. इन पहलुओ को एमपी राज्य बनाम घनश्याम सिंह (2003(8) एससीसी 13),

और मध्य प्रदेश राज्य बनाम बब्बू बरकरे उर्फ दलप सिंह (2005 (5) एससीसी 413) में विस्तृत रूप से विवेचित किया गया है।

16. ऊपर बताई गई कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से मानने योग्य नहीं है और तदनुसार रद्द किया जाता है। निचली अदालत का फैसला बहाल किया जाता है, प्रतिवादी को शेष सजा काटने के लिए तुरंत हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा।

17. अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी आशा गुनपाल (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।